

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक / राजस्व / दावा / 94 / 2016 / 22.03.2024 / 3469 दिनांक :- 27/03/2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,  
राजस्व मण्डल, राजस्थान  
अजमेर


विषय:-मिसल संख्या 94/2016 अनवान सुखाराम बनाम गिरधारीलाल  
वगैरा अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए निर्णय दिनांक 26.10.  
2023 भिजवाने हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक / टीए / निग / 2024 / 410 / गंगा / 04 / 04 /  
2024 / 1455 दिनांक 08.02.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई मिसल संख्या 94/2016 अनवान सुखाराम बनाम गिरधारीलाल वगैरा अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए निर्णय दिनांक 26.10.2023 (प्रा.पत्र. धारा 151 सीपीसी निरस्त करने के विरुद्ध) कुल पृष्ठ संख्या- (70) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली।

  
21/4/2024

भवदीय



(सीता शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज0)